न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 32/18 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00070

उनवान

1. मदनलाल पुत्र कन्हैया उम्र 61 साल } जाति धीमर निवासी वी नारायण गेट अन्दर धीमर मौ0
2. वसंती पत्नी गोपाल उम्र 55 साल } भरतपुर।
3. श्यामवती पुत्री कन्हैया पत्नी पून्या जाति धीमर निवासी ग्राम कुडगॉव तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये पैरोकार सरकार।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 23.01.2018 उनवानी मदनलाल बनाम सरकार मु0न0 129/2015

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रताप सिंह उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 27.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 23.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके चक नम्बर 2 तहसील भरतपुर का वादी/अपीलाण्ट संवत 2012 से गैर खातेदार दर्ज हैं। विवादित आराजी पर वादी/अपीलाण्ट का संवत 2012 से ही कब्जा काश्त है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी/अपीलाण्ट स्वयं को विवादित आराजी पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेसपोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 6 विभाग के परिपत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संवत 2012 पूर्व से उसके आसपास वर्षो से राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदारो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में संवत 2010–13 की प्रस्तुत की गयी है। जिसमें स्पष्ट रूप से अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष विवादित आराजी पर गैर मौरूसी दर्ज रहे हैं एवं वाद में जमाबन्दी संवत 2014 में उन्हें गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर विवादित आराजी पर अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सावित करने में सफल नहीं हुये हैं एवं ना ही अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ कायम की गयी हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना अति सूक्ष्म है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 में माना है कि अपीलाण्ट द्वारा संवत 2012 के बाद की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गयी है। जबकि पत्रावली पर संवत 2026 एवं संवत 2010 की जमाबन्दी उपलब्ध हैं। यदि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के निस्तारण हेतु अन्य दस्तावेजात की कमी खली थी, तो पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ता से उनकी पूर्ति करायी जा सकती थी। इस प्रकार सरसरी तौर निर्णय पारित करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारो को न्याय उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के निर्णय से न्याय का हनन होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकर की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.01.2018 अपास्त किये जाते हैं एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी/अपीलाण्ट को अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 20.11.2023 को उपस्थित होवें। पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27.10.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर